

कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा सरगुजा संभाग, अम्बिकापुर, छत्तीसगढ़

:: आदेश ::

अम्बिकापुर, दिनांक 06/03/2026

क्रमांक/ 5022 /निलंबन/शिकायत/सं.संचा/2025-26 :: कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, सूरजपुर का पत्र क्रमांक/2145/स्था03/अनु.प्रस्ता./2025-26 सूरजपुर दिनांक 06.03.2026 के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार दिनांक 05.03.2026 को समय प्रातः 12:00 बजे तक शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय सांवारांवा, विकासखण्ड भैयाथान जिला सूरजपुर बंद पाया गया है। श्री संजय कुमार गुप्ता विद्यालय के प्रधान पाठक होने के बावजूद बिना सक्षम अधिकारी से नियमानुसार अवकाश स्वीकृत कराए विद्यालय से अनुपस्थित पाए गए तथा विद्यालय में कोई भी शिक्षक निर्धारित समयावधि में उपस्थित नहीं पाया गया है, जो श्री गुप्ता के लापरवाही एवं अनुशासनहीनता को दर्शित करता है, साथ ही विद्यालय में प्रशासनिक नियंत्रण नहीं रख पाना प्रथम दृष्ट्या सही पाया गया है।

श्री गुप्ता का उक्त कृत्य उनके पदीय गरिमा के विपरीत है, जो छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 03 एवं नियम 07 का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः श्री संजय कुमार गुप्ता, शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय सांवारांवा, विकासखण्ड भैयाथान, जिला सूरजपुर को छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) (क) में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप शासकीय सेवा से तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

श्री गुप्ता का निलंबन अवधि में मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, ओड़गी, जिला सूरजपुर नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में श्री गुप्ता को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।


संयुक्त संचालक
शिक्षा सरगुजा संभाग
अम्बिकापुर, छत्तीसगढ़

पृ.क्रमांक/ 5023 /निलंबन/शिकायत /सं.संचा/2025-26 अम्बिकापुर, दिनांक 06/03/2026
प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
2. आयुक्त सरगुजा संभाग, अम्बिकापुर, छत्तीसगढ़ को सादर सूचनार्थ।
3. कलेक्टर, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ।
4. जिला शिक्षा अधिकारी सूरजपुर, छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी भैयाथान, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ एवं आदेश तामिल कराकर पावती अभिस्वीकृति पश्चात् इस कार्यालय में प्रस्तुत करे।
6. विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी ओड़गी, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. प्रधान पाठक, शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय सांवारांवा, विकासखण्ड भैयाथान जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. संबंधित श्री संजय कुमार गुप्ता, शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय सांवारांवा, विकासखण्ड भैयाथान जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
9. स्थापना खण्ड-02 प्रभारी कार्यालयीन की ओर सूचनार्थ।


संयुक्त संचालक
शिक्षा सरगुजा संभाग
अम्बिकापुर, छत्तीसगढ़

कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा सरगुजा संभाग,
अम्बिकापुर छत्तीसगढ़
कारण बताओ सूचना पत्र

क्रमांक / 5032 / शिकायत / सं.संचा / 2026
प्रति,

अम्बिकापुर, दिनांक 06 / 03 / 2026

कु. प्रीति टोप्पो,
शिक्षिका,
शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला सांवारांवा,
विकासखण्ड भैयाथान, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़

विषय :- कारण बताओ सूचना पत्र संबंध में।

संदर्भ :- जिला शिक्षा अधिकारी, सूरजपुर का पत्र क्रमांक / 2145 / स्था03 / अनु.प्रस्ता. / 2025-26 सूरजपुर
दिनांक 06.03.2026

--00--

विषयांतर्गत लेख है कि सन्दर्भित पत्र के माध्यम से दिनांक 05.03.2026 को आप अपने पदस्थ विद्यालय माध्यमिक शाला सांवारांवा, विकासखण्ड भैयाथान में नियमानुसार बिना सक्षम अधिकारी के अवकाश स्वीकृति के विद्यालय में अनुपस्थित पाई गई तथा विद्यालय परिसर भी प्रातः 12:00 बजे तक बंद पाया गया और कोई भी शिक्षक / कर्मचारी उपस्थित नहीं पाया गया। जिसकी सूचना ग्रामीणों के द्वारा दूरभाष के माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारी सूरजपुर को उनके द्वारा विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी भैयाथान से विद्यालय का निरीक्षण कराया गया। जिसमें जानकारी सही होना पाया गया है। विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी भैयाथान के द्वारा आपको सूचना देकर बुलाए जाने पर आप लगभग प्रातः 12:00 बजे विद्यालय में आपको उपस्थित कराकर विद्यालय का संचालन कराया गया।

आपका उक्त कृत अपने पदीय दायित्व के प्रति लापरवाही एवं अनुशासनहीनता को दर्शित करता है। जो छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 03 एवं नियम 07 का स्पष्ट उल्लंघन है।

उक्त संबंध में आप अपना जवाब 03 दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे। आपका जवाब संतोषपद नहीं होने की स्थिति में आपके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जावेगा। जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आपकी होगी।

पृ० क्रमांक / 5033 / शिकायत / सं.संचा / 2026
प्रतिलिपि :-

1. जिला शिक्षा अधिकारी सूरजपुर छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ।
2. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी भैयाथान, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ एवं पत्र तामिल कराकर पावती अभिरवीकृति पश्चात् इस कार्यालय में प्रस्तुत करे।


संयुक्त संचालक
शिक्षा सरगुजा संभाग
अम्बिकापुर छत्तीसगढ़
अम्बिकापुर, दिनांक 06 / 03 / 2026


संयुक्त संचालक
शिक्षा सरगुजा संभाग
अम्बिकापुर छत्तीसगढ़

कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा सरगुजा संभाग,
अम्बिकापुर छत्तीसगढ़
कारण बताओ सूचना पत्र

क्रमांक/ 5030 /शिकायत/सं.संचा /2026
प्रति,

अम्बिकापुर,दिनांक 06/03/2026

श्री रमेश चेसकर,
शिक्षक,
शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला सांवारंवा,
विकासखण्ड भैयाथान, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़

विषय :- कारण बताओ सूचना पत्र संबंध में।

संदर्भ :- जिला शिक्षा अधिकारी, सूरजपुर का पत्र क्रमांक/2145/स्था03/अनु.प्रस्ता./2025-26 सूरजपुर
दिनांक 06.03.2026

—00—

विषयांतर्गत लेख है कि सन्दर्भित पत्र के माध्यम से दिनांक 05.03.2026 को आप अपने पदस्थ विद्यालय माध्यमिक शाला सांवारंवा, विकासखण्ड भैयाथान में नियामनुसार बिना सक्षम अधिकारी के अवकाश स्वीकृति के विद्यालय में अनुपस्थित पाई गई तथा विद्यालय परिसर भी प्रातः 12:00 बजे तक बंद पाया गया और कोई भी शिक्षक/कर्मचारी उपस्थित नहीं पाया गया। जिसकी सूचना ग्रामीणों के द्वारा दूरभाष के माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारी सूरजपुर को उनके द्वारा विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी भैयाथान से विद्यालय का निरीक्षण कराया गया। जिसमें जानकारी सही होना पाया गया है।

आपका उक्त कृत अपने पदीय दायित्व के प्रति लापरवाही एवं अनुशासनहीनता को दर्शित करता है। जो छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 03 एवं नियम 07 का स्पष्ट उल्लंघन है।

उक्त संबंध में आप अपना जवाब 03 दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे। आपका जवाब संतोषपद नहीं होने की स्थिति में आपके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जावेगा। जिसकी जिम्मेदारी स्वयं अपनी होगी।

पृ० क्रमांक/ 5031 /शिकायत/ सं.संचा /2026
प्रतिलिपि :-

1. जिला शिक्षा अधिकारी सूरजपुर छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ।
2. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी भैयाथान, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ एवं पत्र तामिल कराकर पावती अभिस्वीकृति पश्चात् इस कार्यालय में प्रस्तुत करे।


संयुक्त संचालक
शिक्षा सरगुजा संभाग
अम्बिकापुर छत्तीसगढ़
अम्बिकापुर,दिनांक 06/03/2026


संयुक्त संचालक
शिक्षा सरगुजा संभाग
अम्बिकापुर छत्तीसगढ़

कार्यालय सभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा सरगुजा संभाग,
अम्बिकापुर छत्तीसगढ़
कारण बताओ सूचना पत्र

क्रमांक/ 5028 / शिकायत/ सं.संचा / 2026
प्रति,

अम्बिकापुर, दिनांक 06/03/2026

ईशा खलखो,
शिक्षिका,
शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला सांवारावा,
विकासखण्ड भैयाथान, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़

विषय :- कारण बताओ सूचना पत्र संबंध में।

संदर्भ :- जिला शिक्षा अधिकारी, सूरजपुर का पत्र क्रमांक/2145/स्था03/अनु.प्रस्ता./2025-26 सूरजपुर
दिनांक 06.03.2026

--00--

विषयांतर्गत लेख है कि सन्दर्भित पत्र के माध्यम से दिनांक 05.03.2026 को आप अपने पदस्थ विद्यालय माध्यमिक शाला सांवारावा, विकासखण्ड भैयाथान में नियमानुसार बिना सक्षम अधिकारी के अवकाश स्वीकृति के विद्यालय में अनुपस्थित पाई गई तथा विद्यालय परिसर भी प्रातः 12:00 बजे तक बंद पाया गया और कोई भी शिक्षक/कर्मचारी उपस्थित नहीं पाया गया। जिसकी सूचना ग्रामीणों के द्वारा दूरभाष के माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारी सूरजपुर को उनके द्वारा विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी भैयाथान से विद्यालय का निरीक्षण कराया गया। जिसमें जानकारी सही होना पाया गया है।

आपका उक्त कृत अपने पदीय दायित्व के प्रति लापरवाही एवं अनुशासनहीनता को दर्शित करता है। जो छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 03 एवं नियम 07 का स्पष्ट उल्लंघन है।

उक्त संबंध में आप अपना जवाब 03 दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे। आपका जवाब संतोषपद नहीं होने की स्थिति में आपके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जावेगा। जिसकी जिम्मेदारी स्वयं अपकी होगी।

पृ0 क्रमांक/ 5029 / शिकायत/ सं.संचा / 2026
प्रतिलिपि :-

1. जिला शिक्षा अधिकारी सूरजपुर छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ।
2. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी भैयाथान, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ एवं पत्र तामिल कराकर पावती अभिस्वीकृति पश्चात् इस कार्यालय में प्रस्तुत करे।


संयुक्त संचालक
शिक्षा सरगुजा संभाग
अम्बिकापुर छत्तीसगढ़
अम्बिकापुर, दिनांक 06/03/2026


संयुक्त संचालक
शिक्षा सरगुजा संभाग
अम्बिकापुर छत्तीसगढ़

कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा सरगुजा संभाग,
अम्बिकापुर छत्तीसगढ़
कारण बताओ सूचना पत्र

क्रमांक/ 5026 /शिकायत/सं.संचा /2026
प्रति,

अम्बिकापुर,दिनांक 06/03/2026

श्री अजित कुमार चन्द्रा,
शिक्षक,
शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला सांवारावा,
विकासखण्ड भैयाथान, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़

विषय :- कारण बताओ सूचना पत्र संबंध में।

संदर्भ :- जिला शिक्षा अधिकारी, सूरजपुर का पत्र क्रमांक/2145/स्था03/अनु.प्रस्ता./2025-26 सूरजपुर
दिनांक 06.03.2026

—00—

विषयांतर्गत लेख है कि सन्दर्भित पत्र के माध्यम से दिनांक 05.03.2026 को आप अपने पदस्थ विद्यालय माध्यमिक शाला सांवारावा, विकासखण्ड भैयाथान में नियामनुसार बिना सक्षम अधिकारी के अवकाश स्वीकृति के विद्यालय में अनुपस्थित पाई गई तथा विद्यालय परिसर भी प्रातः 12:00 बजे तक बंद पाया गया और कोई भी शिक्षक/कर्मचारी उपस्थित नहीं पाया गया। जिसकी सूचना ग्रामीणों के द्वारा दूरभाष के माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारी सूरजपुर को उनके द्वारा विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी भैयाथान से विद्यालय का निरीक्षण कराया गया। जिसमें जानकारी सही होना पाया गया है।

आपका उक्त कृत अपने पदीय दायित्व के प्रति लापरवाही एवं अनुशासनहीनता को दर्शित करता है। जो छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 03 एवं नियम 07 का स्पष्ट उल्लंघन है।

उक्त संबंध में आप अपना जवाब 03 दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे। आपका जवाब संतोषपद नहीं होने की स्थिति में आपके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जावेगा। जिसकी जिम्मेदारी स्वयं अपकी होगी।

पृ० क्रमांक/ 5027 /शिकायत/ सं.संचा /2026
प्रतिलिपि :-

1. जिला शिक्षा अधिकारी सूरजपुर छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ।
2. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी भैयाथान, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ एवं पत्र तामिल कराकर पावती अभिस्वीकृति पश्चात् इस कार्यालय में प्रस्तुत करे।

संयुक्त संचालक
शिक्षा सरगुजा संभाग
अम्बिकापुर छत्तीसगढ़
अम्बिकापुर,दिनांक 06/03/2026

संयुक्त संचालक
शिक्षा सरगुजा संभाग
अम्बिकापुर छत्तीसगढ़

कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा सरगुजा संभाग,
अम्बिकापुर छत्तीसगढ़
कारण बताओ सूचना पत्र

क्रमांक / 5024 / शिकायत / सं.संचा / 2026
प्रति,

अम्बिकापुर, दिनांक 06/03/2026

श्री रामजतन कुशवाहा,
संकुल समन्वयक बैजनाथपुर,
विकासखण्ड भैयाथान, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़

विषय :- कारण बताओ सूचना पत्र संबंध में।

संदर्भ :- जिला शिक्षा अधिकारी, सूरजपुर का पत्र क्रमांक / 2145 / स्था03 / अनु.प्रस्ता. / 2025-26 सूरजपुर
दिनांक 06.03.2026

—00—

विषयांतर्गत लेख है कि सन्दर्भित पत्र के माध्यम से दिनांक 05.03.2026 को समय प्रातः 12:00 बजे तक शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला सांवारांवा, विकासखण्ड भैयाथान बंद पाया गया एवं उसमें पदस्थ शिक्षक एवं कर्मचारीगण नियमानुसार बिना सक्षम अधिकारी के अवकाश स्वीकृति के विद्यालय में अनुपस्थित पाए गए। जिसकी सूचना ग्रामीणों के द्वारा दूरभाष के माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारी सूरजपुर को उनके द्वारा विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी भैयाथान से विद्यालय का निरीक्षण कराया गया। जिसमें जानकारी सही होना पाया गया है। इससे स्पष्ट है कि आपके द्वारा अपने संकुल अन्तर्गत विद्यालयों का भ्रमण उचित प्रकार से नहीं किया जा रहा है।

आपका उक्त कृत अपने पदीय दायित्व के प्रति लापरवाही एवं अनुशासनहीनता को दर्शित करता है। जो छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 03 का स्पष्ट उल्लंघन है।

उक्त संबंध में आप अपना जवाब 03 दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। आपका जवाब संतोषपद नहीं होने की स्थिति में आपके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जावेगा। जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आपकी होगी।

संयुक्त संचालक
शिक्षा सरगुजा संभाग
अम्बिकापुर छत्तीसगढ़

अम्बिकापुर, दिनांक 06/03/2026

पृ० क्रमांक / 5025 / शिकायत / सं.संचा / 2026
प्रतिलिपि :-

1. जिला शिक्षा अधिकारी सूरजपुर छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ।
2. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी भैयाथान, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ एवं पत्र तामिल कराकर पावती अभिस्वीकृति पश्चात् इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

संयुक्त संचालक
शिक्षा सरगुजा संभाग
अम्बिकापुर छत्तीसगढ़